भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
.....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 11*

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा मनरेगा लेखाओं का निरीक्षण

***11. श्रीमती शोभना भरतियाः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 'मनरेगा' के लेखाओं की जांच करने के लिए सरकारी लेखा परीक्षक को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न राज्यों में 'मनरेगा' के लेखाओं की जांच कब तक कर ली जाएगी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 'इस योजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि का पारदर्शी तरीके से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री जयराम रमेश)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित/ अतारांकित प्रश्न सं. 11 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के परामर्श से सभी स्तरों पर योजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा की उचित व्यवस्था तय कर सकती है । तदनुसार, मंत्रालय ने सीएजी के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की है । मंत्रालय ने सीएजी से यह भी अनुरोध किया है कि वह आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल राज्यों में निष्पादन लेखा परीक्षा की शुरूआत करे । सीएजी ने लेखा परीक्षा कराने और रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं दर्शाई है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के नियम 2 के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक जिला और राज्य रोजगार गारंटी निधि के लिए खातों की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या उसी स्तर के प्राधिकारी या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाएगी, जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और राज्य सरकार इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केंद्र सरकार को भेजेगी । नियम 3 के अनुसार, राज्य सरकार इन नियमावलियों के अंतर्गत नियत तरीकों के हिसाब से छः माह में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में मदद भी करेगी और किसी वित्त वर्ष के दौरान कराई गई ऐसी सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ग) और (घ) : सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की निधियों का पारदर्शी एवं कारगर तरीके से उपयोग किया जाए । इस संबंध में सरकार द्वारा पहले से किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की गई है ।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने और मजदूरी के भुगतान में ईमानदारी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ताकि जब तक सांविधिक अनिवार्यताओं से छूट नहीं दी जाती तब तक महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को बैंकों या डाक घरों में खोले गए संस्थागत खातों के जरिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा ।

(iii) मजदूरी वितरण में संस्थागत पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारें बैंकों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/अर्हता के लिए आवेदन (आरएफओ) मंगाकर प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधार पर ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कॉरसपोंडेंट मॉडल शुरू करेगी ।

(iv) मनरेगा के लिए लगनशील स्टाफ की तैनाती करने, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायता संरचना को सुदृढ़ करने, शिकायत निवारण एवं आईसीटी आधारभूत सुविधा के लिए प्रशासनिक व्यय की अनुमेय सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है ।

(v) राज्यों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे मनरेगा के लिए निधियों के प्रबंधन में बेहतर लोचनीयता लाने की दृष्टि से राज्य रोजगार गारंटी निधि बनाएं ।

(vi) सार्वजनिक जांच के लिए जॉब कार्ड, मस्टररोल, मांगे गए रोजगार और किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधि, सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों, शिकायतों को दर्ज करने आदि सहित डाटा उपलब्ध कराने के लिए सूचना और प्रोद्यौगिकी (आईसीटी) आधारित एमआईएस को संचालित किया गया है ।

(vii) सभी राज्यों को निदेश दिए गए हैं कि वे शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन को नियुक्त करें ।

(viii) योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों की व्यवस्था है ।

(ix) उपयोग प्रमाणपत्रों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्टों की निरंतर निगरानी की जाती है ।

*****